रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1970/ज्येष्ठ 11, 1892
No. 102] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1970/JYAISTHA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATION
CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st June 1970

G. S. R. 865—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958) the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted namely :—

TABLE

Serial No.	Description of goods	Rates of additional duty
1	2	3
1.	*Motor Spirit*	
	(*a*) Special Boiling point Spirits	Rs. 161·70 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
	(*b*) Other than Special Boiling Point Spirits.	Rs. 99·50 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.

1	2	3
2.	Kerosene Superior . . .	Rs. 58·40 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
3.	Kerosene Inferior . . .	Rs. 86·75 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
4.	*Refined Diesel Oils*	
	(*a*) (*i*) BOC Lub. 40 and BOC Lub. 50, produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives.	Rs. 400·00 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
	(*ii*) BOC Lub. 40 and BOC Lub. 50 produced wholly from imported crude oil or its derivatives.	Rs. 260 ·90 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
	(*iii*) Jute Batching Oil, Flushing Oil, Household Oil and Bauxite Solvent Oil.	Rs. 161·70 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
	(*b*) Other than Jute Batching Oil, BOC Lub. 40, BOC Lub. 50, Flushing Oil, Household Oil and Bauxite Solvent Oil—	
	(I) if produced wholly from the indigenous crude oil and conforming to the following characteristics.	Rs. 86·75 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
	(*i*) it is not lighter in colour than solution with the following composition: Quarter normal aqueous solution of— (*a*) Ferric Chloride ($Fe Cl_3 6H_2 O$) (*b*) Cobaltous Chloride ($CO Cl_2 6H_2O$) (*c*) Copper Sulphate ($Cu SO_4 5 H_2 O$) mixed in the ratio of 6:3:1;	
	(*ii*) it is ordinarily used as an illuminant in oil burning lamps ;	
	(*iii*) it has a flashing point below one hundred and fifty degree of Fahrenheit's thermometer;	
	(*iv*) it has a flame height, by the prescribed test, of not less than twelve millimetres (with a tolerance of 1 millmetre in favour of the party in border-line cases) ;	
	(*v*) it has a pour point of fifty-five degrees of Fahrenheit's thermometer or above when tested by the method I. P. 15/60 prescribed by the Institute of Petroleum Technologists, London, for the determination of pour point of mineral oils; OR possesses a viscosity of not more than 29 seconds by Redwood I Viscometer at one hundred degrees of Fahrenheit's thermometer and has a Diesel Index of less than 40 as determined by the method prescribed in the Indian Standards.	
	(II) Others	Rs. 50·45 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
5.	Vaporising Oil	Rs. 49·05 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
6.	Diesel Oil, not otherwise specified .	Rs. 94·30 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.
7.	Furnace Oil	Rs. 42·20 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer.

1	2	3
8.	Bitumen/Asphalt Straight Grade	Rs. 87·00 per metric tonne.
9.	Bitumen/Asphalt Cut-back	Rs. 99·30 per metric tonne.
10.	All products as described in Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), except refinery Gases, Coke and Mineral Colza Oil.	
	(*a*) Base Mineral Oils produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives and intended for use in the manufacture of Lubricating Oils and Lubricating Greases.	Rs. 428·80 per metric tonne.
	(*b*) Lubricating Oils and Lubricating Greases produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives.	Rs. 428·80 per metric tonne.
	(*c*) Lubricating Oils and Lubricating Greases produced wholly or partly from imported crude oil or its derivatives.	Rs. 281·00 per metric tonne.
	(*d*) All other products . . .	Rs. 190·00 per metric tonne.

[No. 126/70-CE/F. No. 11/8/70 CX 3]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जून 1970

सा० का० नि० 865.—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 199/66-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 16 दिसम्बर, 1966 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में सारणी के लिए निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम० सं०	माल का वर्णन	अतिरिक्त शुल्क की दरें
1	2	3
1.	**मोटर स्पिरिट**	
(क)	विशेष क्वथनांक वाली स्पिरिट	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 161·70 रु० प्रति किलोलीटर

1	2	3
	(ख) विशेष क्वथनांक वाली स्पिरिट से भिन्न	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 99.50 रु० प्रति किलोलीटर
2.	बढ़िया केरासीन	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 58.40 रु० प्रति किलोलीटर
3.	घटिया केरासीन	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 86.75 रु० प्रति किलोलीटर
4.	परिशोधित डीजल तेल	
(क)	(i) देसी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से उत्पादित बीओसी स्नेहक 40 और बीओसी स्नेहक 50	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 400.00 रु० प्रति किलोलीटर ।
	(ii) आयात किए गए कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से उत्पादित बीओसी स्नेहक 40 और बीओसी स्नेहक 50	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 260.90 रु० प्रति किलोलीटर
	(iii) जूट बेचिंग तेल, फ्लशिंग तेल, घरेलू तेल और वाकसाइट विलेय तेल	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 161.70 रु० प्रति किलोलीटर
(ख)	जूट बेचिंग तेल, बीओसी स्नेहक 40, बीओसी स्नेहक 50, फ्लशिंग तेल, घरेलू तेल और वाकसाइट विलेय तेल से भिन्न	
	(I) यदि वह देसी कच्चे तेल से पूर्ण रूप से उत्पादित हो और निम्नलिखित लक्षणों के अनुरूप हो तो	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 86.75 रु० प्रति किलोलीटर
	(i) वह निम्नलिखित संरचना वाले घोल की अपेक्षा हल्के रंग का न हो —	
	(क) फैरिक क्लोराइड ($FeCl^3\ 6H_2O$)	
	(ख) कोबाल्ट्स क्लोराइड ($CoCl_2\ 6H_2O$)	
	(ग) नीला थोथा ($CuSO_4\ 5H_2O$) का 6:3:1 के अनुपात में मिश्रित चतुर्थांश सामान्य जलीय घोल	
	(ii) वह मामूली तौर पर तेल से जलने वाले लैम्पों में प्रदीपक के रूप में प्रयोग में लाया जाता हो	
	(iii) उसका दमक बिन्दु फार्नहाइट थर्मामीटर की एक सौ पचास डिग्री से नीचे हो ।	
	(iv) उसकी ज्वाला की ऊंचाई विहित परीक्षण से 12 मिलीमीटर से कम न हो (बीच की दशाओं में पाटी के पक्ष में 1 मिलीमीटर की सहायता सहित) ।	

1	2	3
	(v) खनिज तेलों के बहाव बिन्दु के अवधारण के लिए इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम टैक्नालोजिस्ट्स, लन्दन द्वारा विहित आई० पी० 15/60 पद्धति द्वारा परीक्षण किए जाने पर उसका बहाव बिन्दु फोर्नहाइट थर्मामीटर की पचपन डिग्री या उससे ऊपर हो अथवा फार्नहाईट थर्मामीटर की सौ डिग्री पर रेडवुड I विस्कोमीटर द्वारा परीक्षण किए जाने पर 29 सेकण्ड से अनधिक श्यानता हो और डीजल सूचकांक भारतीय मानकों में विहत पद्धति से यथा अवधारित 40 से कम का हो ।	
	(II) अन्य	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 50.45 रु० प्रति किलोलीटर
5.	वाष्पशील तेल	सेण्डीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 49.05 रु० प्रति किलोलीटर
6.	डीजल तेल जो अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पंद्रह डिग्री पर 94.30 रु० प्रति किलोलीटर
7.	फर्नेस आयाल	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 42.20 रु० प्रति किलोलीटर
8.	विटूमेन एस्फाल्ट स्टेट ग्रेड	87.00 रु० प्रति मीटरी टन
9.	विटुमेन एस्फाल्ट कट बैक	99.30 रु० प्रति मीटरी टन
10.	रिफाइनरी गैसों को, और खनिज कोल्जा तेल के सिवाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 11-क में यथावर्णित सब उत्पाद	
	(क) देसी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से उत्पादित और स्नेहक तेलों और स्नेहक ग्रीजों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित आभारी खनिज तेल	428.80 रु० प्रति मीटरी टन
	(ख) देसी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से उत्पादित स्नेहक तेल और स्नेहक ग्रीज	428.80 रु० प्रति मीटरी टन

1	2	3
(ग)	आयात किए गए कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उत्पादित स्नेहक तेल और स्नेहक ग्रीज	281.00 रु० प्रति मीटरी टन
(घ)	अन्य सब उत्पाद	190.00 रु० प्रति मीटरी टन

[सं० 126/70-के० उ० फा० सं० 11/8/70-सी० एक्स० 3]

पी० आर० कृष्णन्,
अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970